

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 36/2021

तारीख दायर :-19.01.2022

दिनांक निर्णय :-08.02.2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का बीघोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

राकेश पुत्र राघेश्याम जाति मीना निवासी विरपुर तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू0 राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। गैरसायल उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, गैरसायल द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का बीघोता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे गैरसायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत गैरसायल को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस द्वारा तलब किया गया। गैरसायल राकेश पुत्र राघेश्याम जाति मीना उपस्थित रहा गैरसायल द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया, गैरसायल की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतीत होती है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का बीघोता के अनुसार राजकीय भूमि पर गैरसायल द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्बत 2078 में बाड़ लगाकर कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:- अतिक्रमी राकेश पुत्र राघेश्याम जाति मीना निवासी ग्राम वीरपुर को आराजी ख0न0 01 रकबा 3.87 हे0 किस्म गैर मु0 राड़ा में से 0.75 हे0 पर से वाके ग्राम वीरपुर से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1.50 की 50 गुणा में मु0 75.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का बीघोता को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 08.02.2022 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

रा. ले. सं. 4 वर्ष 2021-22
पृष्ठ संख्या 16 पत्र लि. नं. 75/-
राशि कांथम किये गये।
त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर